

107 द. प्र. स.

वादी चरित्र का प्रमाण

न्यायालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी,
खूँटी,

देवनाथ बड़ाईक
बनाम

M-64/2017 आदेश पत्रक

विरुद्ध बड़ाईक को

15/7/12

अभिलेख संख्या :- एम. 64 / 2017, धारा :- 107 द. प्र. स.

230
15/7/12

थाना प्रमारी करा के अप्राथमिकी संख्या :- 8/17

प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन / आवेदन से सूचना मिली है कि :-

जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेगा जिससे परिशांति भंग हो जायेगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जायेगी।

अतः मैं अनुमंडल दण्डाधिकारी, खूँटी, उक्त पुलिस प्रतिवेदन के आधार पर संतुष्ट होकर द 0 प्र 0 स 0 की धारा 107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करता हूँ। द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे / उनसे प्रत्येक को एक हजार रुपये का बंध - पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।

दिनांक :- 31/7/17 को उपस्थापित करें।

15/7/12
अनुमंडल दण्डाधिकारी,
खूँटी

नहीं है
अतः प्रथम पत्र के हार्फे 1 वीं
पत्र के पत्र चाद की काल अक्टू-समाप्त
होने के कारण अभिलेख की अंग्रेज
कार्यालय खन्द की जाती है।

11.06.18
कार्यालय कलकत्ता
की।